BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 724/2023
(I.A. NO. 173/2026, I.A. NO. 80/2025, I.A. NO. 81/2025, I.A. NO. 744/2025, I.A. NO. 254/2024 AND I.A. NO. 348/2024)

IN THE MATTER OF:

BITTU …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL REPORT BY DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (RURAL), GHAZIABAD ON BEHALF OF COMMISSIONER OF POLICE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 19.03.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 21.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	

3.	A COPY OF LETTER DATED 04.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF LETTER DATED 04.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 07.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF LETTER DATED 12.03.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR UPPCB
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 08.04.2026

Place: Noida

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 724/2023
(I.A. NO. 173/2026, I.A. NO. 80/2025, I.A. NO. 81/2025, I.A. NO. 744/2025, I.A. NO. 254/2024 AND I.A. NO. 348/2024)

IN THE MATTER OF:

BITTU ...**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...**RESPONDENTS**

ADDITIONAL REPORT BY DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (RURAL), GHAZIABAD ON BEHALF OF COMMISSIONER OF POLICE, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 19.03.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, Surendra Nath Tiwari aged about 56 years, S/o Shri Shiva Nand Tiwari posted as Deputy Commissioner of Police (Rural), Commissionerate Ghaziabad, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That, the Additional Commissioner of Police, Ghaziabad vide letter no. **R-A.Po.Aa-56/2026** dated **21.01.2026** has authorized the Deponent to file the present affidavit and to ensure compliance with directions of the Hon'ble Tribunal in their true letters and spirit.

   A copy of letter dated 21.01.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

4. That, this matter was last listed for hearing on **19.03.2026** wherein the Hon'ble Tribunal directed as follows:

   "13. It may also be observed here that in the present case in compliance of order dated 29.01.2026 passed by this Tribunal, FIR was registered against the unknown persons and unknown JCB owner. This Tribunal

S P SINGH NOTARY MODINAGAR Distt Ghaziabad GOVT. OF INDIA

observed in order dated 18.02.2026 that prima facie a perusal of the reply filed by the Commissioner of Police, Ghaziabad and the FIR registered raises serious questions regarding fairness of action and investigation on the part of Police particularly as to when the site in question fell within the mining lease area, how FIR is registered against unknown JCB owner and also acceptability of the justification put forth regarding mining from the pit in the lease area without considering why, how and by whom such pit was created in the river bed and whether mining was permissible at all from any water logged pit in river bed. No further report has been filed by the Commissioner of Police, Ghaziabad as to what is the progress made in the investigation of the case. We also consider it necessary to implead all the persons who were involved in such illegal mining and also the driver and owner of the JCB so that appropriate order can be passed against them.

14. The Commissioner of Police, Ghaziabad is directed to file additional report by way of his own affidavit or affidavit of duly authorized officer with respect to the progress made in investigation of the case starting from giving of information to the Police on 02.01.2026 with particulars of the persons involved and also owner and driver of the JCB involved. Report may be filed at least one day before the next date of hearing fixed.

22. List on 09.04.2026 for further hearing."

S. P. SINGH NOTARY MODINAGAR Distt. Ghaziabad INDIA

II. REPLY IS AS FOLLOWS

5. That the Commissioner of Police, Ghaziabad, vide letter no. **V-01/2026** dated **04.04.2026**, directed the Deponent to ensure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal in their true letter and spirit. In furtherance thereof, the Deponent, vide letter no. **R-DCP-R-20/2026** dated **04.04.2026,** directed the A.C.P., Loni, Ghaziabad, to ensure such compliance and to submit a report to the Deponent to enable timely filing of the affidavit in accordance with the said directions.

Copies of both letters dated 04.04.2026 are annexed herewith and marked as ***Annexure-2*** and ***Annexure-3*** respectively.

6. That the A.C.P., Loni, Ghaziabad, vide letter dated **07.04.2026,** has furnished the updated investigation status in respect of **FIR No. 51/2026** registered at Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad, under Section **303(2) of the BNS** and **Sections 4/21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957**, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of letter dated 07.04.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-4***.

SINGH NOTARY MODINAGAR Distt. Ghaziabad INDIA

III. UPDATED STATUS OF INVESTIGATION AS INFORMED VIDE LETTER DATED 07.04.2026 IS AS FOLLOWS

7. That the Investigating Officer, Inspector Manoj Kumar, has informed that the complainant in the present case, Sub Inspector Shri Pradeep Kumar Singh, lodged written information at Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad on **17.02.2026**, wherein he stated that he is posted as Post Incharge, Pachaira, Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad. It is further submitted that on 02.01.2026, while on duty in the Pachaira area, a complaint regarding illegal mining was received during night hours on helpline number 112 from Akash son of Tejpal, Abhishek son of Devendra, Yogendra son of Kartar, and Sunil son of Omprakash, all residents of village Pachaira, Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad.

8. That the I.O./Inspector Manoj Kumar, has informed that the complainant in the present case, S.I. Shri Pradeep Kumar Singh, lodged written information at Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad on 17.02.2026, wherein the said S.I. Shri Pradeep Kumar Singh has stated that he is posted as Chowki Incharge, Pachaira, Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad.

NOTARY GOVT. OF INDIA S. P. SINGH NOTARY MODINAGAR Distt. Ghaziabad

9. That, SI Pradeep Kumar Singh submitted that on **02.01.2026,** while he was on duty in the Pachaira area, a complaint regarding illegal mining was received during night hours on helpline number 112 from Akash son of Tejpal, Abhishek son of Devendra, Yogendra son of Kartar, and Sunil son of Omprakash, all residents of village Pachaira. During investigation, the said complainants were asked to submit a written complaint; however, they declined to do so. However, subsequently on the basis of the circulated/viral video regarding illegal mining and as per the directions of the Hon'ble Tribunal, the department proceeded with investigation, and accordingly, a complaint was given for registration of a case against the unknown JCB and its driver involved in illegal mining. Consequently, on **17.02.2026, FIR No. 51/2026 under Section 303(2) BNS and Sections 4/21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957** was registered at Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad against an unknown JCB driver (name and address unknown), and the investigation was then handed over to S.I. Rahul Tomar (*At present Inspector Manoj Kumar is the I.O.).*

10. That the Deponent, vide letter dated 12.03.2026, constituted a 5-member SIT to assist the Investigating Officer, and the investigation of the case was taken over by Inspector/IO Shri Manoj Kumar on 21.03.2026, who is presently conducting the investigation with the assistance of the said SIT. The composition of the SIT is as follows:

SINGH NOTARY MODINAGAR Distt Ghaziabad INDIA

- Inspector Manoj Kumar
- Senior S.I. Pradeep Kumar Sharma
- S.I. Ravi Yadav
- S.I. Rahul Tomar
- S.I. Sachin Kumar

A copy of letter dated 12.03.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

11\. That during the course of investigation, statements of the plaintiff of the case, S.I. Shri Pradeep Kumar Singh, were recorded and, on his indication, physical inspection of the site of incident was conducted. He stated that the incident site was a pit on the banks of river Yamuna in the area of village Pachaira, which was stated to fall within the allotted mining lease area. In this regard, the allotment order dated **12.11.2021** was inspected by the Investigating Officer, and upon examination, it was found that the mining lease/allotment stood in the name of **M/s New Panther Security Guard Service**, through its proprietor **Bani Singh, son of Raghunath Singh, resident of Salasar Complex 306, Shankar Vihar Colony, Quarsi, District Aligarh**, for extraction of minerals over various plot numbers, admeasuring a total area of 8.512 hectares, for a period of 05 years.

SINGH
NOTARY
MODINAGAR
Distt. Ghaziabad
GOVT. OF INDIA

12. That, for further verification, statements of the complainants/witnesses in the FIR, namely Akash son of Tejpal, Abhishek son of Devendra, Yogendra son of Kartar, all residents of village Pachaira, Police Station Tronica City, Commissionerate Ghaziabad, were recorded, wherein they stated that they had earlier made a complaint on helpline number 112 regarding illegal mining at the site of incident and had subsequently submitted a letter to the police stating that, as GRAP-4 had been removed, they did not wish to pursue any further action in the matter.

13. That, for further verification of the incident site and the lease mining area, a report was sought from the Mining Officer, Ghaziabad, and upon receipt thereof, it was reported that the lease for sand mining in village Pachaira, Section-2, Tehsil Loni, Ghaziabad, stands allotted in the name of **M/s New Panther Security Guard Service**, through its proprietor Bani Singh, for a period of 05 years. It was further reported that in the video dated **02.01.2026**, showing mining activity using a **JCB/Poclain machine at about 10:09 PM**, the location falls within the approved lease area and comprises a water-filled pit, and that the lease holder had permission to carry out mining work on the said date without any separate restriction imposed. **It was further reported by the Mining Department, Ghaziabad that action has been taken against the lessee**, by imposing and recovering a penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) for loading/transporting sub-mineral sand during night hours,

and that a show cause notice has been issued for imposition of an additional penalty of ₹5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only) under Rule 60(4) for violation of Rule 45(j) of the Uttar Pradesh Sub-Mineral Rules, 2021, on account of mining being carried out despite the pit being water-filled due to reaching of water level.

14. That, it is revealed during investigation that, for the purpose of illegal mining, a pit had been dug at the site and sand was extracted from the water-filled pit using a JCB/Poclain machine. It is further found that mining in the said leased area was being carried out **with the knowledge and consent of the lease holder Bani Singh** under the **supervision of her Manager Shiv Kumar Kasana**, son of Phool Singh Kasana, resident of village Ristal, Police Station Tila Mod, Commissionerate Ghaziabad, presently residing at Web City, Ghaziabad, and that **the JCB/Poclain machine involved in the video has been identified as belonging to Satveer Singh**, son of Ratan Singh, resident of village Pachaira, Police Station Tronica City, Ghaziabad. **It has further been found that on 02.01.2026, the said JCB/Poclain machine was being driven by Dhanraj**, resident of village Pachaira, Police Station Tronica City, Ghaziabad, **and further investigation/verification in this regard is ongoing**.

S. SINGH
NOTARY
MODINAGAR
Distt. Ghaziabad
GOVT. OF INDIA

15. That, in relation to the video dated **02.01.2026**, the same has been collected and saved in a pen drive, **and a certificate under Section 63(4)(c) of the Indian Evidence Act, 2023 has been obtained in respect thereof. It is further submitted that evidence collection in the case is ongoing. The A.C.P., Loni, Tronica City is monitoring and supervising the investigation being conducted by the SIT on a daily basis, and the Deponent is also reviewing the progress of the investigation on a weekly basis.** Further, the Inspector-in-Charge, Police Station Tronica City and the Investigating Officer have been directed to expedite the investigation.

16. That the Deponent, in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, is filing the present affidavit and remains duty-bound to ensure compliance with the said directions in their true letter and spirit.

17. Hence, this additional affidavit is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

18. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY GOVT. OF INDIA S. P. SINGH NOTARY MODINAGAR Distt. Ghaziabad

ATTESTED 8/1/2026
S. P. SINGH
Advocate/Notary

DEPONENT

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 724/2023
(I.A. NO. 173/2026, I.A. NO. 80/2025, I.A. NO. 81/2025, I.A. NO. 744/2025, I.A. NO. 254/2024 AND I.A. NO. 348/2024)

IN THE MATTER OF:

BITTU ...**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...**RESPONDENTS**

AFFIDAVIT

I, Surendra Nath Tiwari aged about 56 years, S/o Shri Shivanand Tiwari posted as Deputy Commissioner of Police (Rural), Commissionerate Ghaziabad, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.
2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY GOVT. OF INDIA S. P. SINGH NOTARY MODINAGAR Distt. Ghaziabad

ATTESTED
S. P. SINGH
Advocate/Notary

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Modi Nagar on this 02 day of April 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to __ are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA
S. P. SINGH
NOTARY
MODINAGAR
Distt. Ghaziabad

ATTESTED
8/4/2026
S. P. SINGH
Advocate/Notary

-: आदेश :-

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.12.2025 के द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रदूषण सम्बन्धी विषयों पर पारित आदेशों का कमिश्नरेट गाजियाबाद में अनुपालन कराये जाने एवं प्रदूषण सम्बन्धी प्रकरणों हेतु **श्री त्रिगुण बिसेन, पुलिस उपायुक्त, यातायात, कमिश्नरेट गाजियाबाद** को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए **पुलिस उपायुक्त, यातायात के स्थान पर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद** को तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नामित नोडल अधिकारी उपरोक्त सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली तथा मुख्यालय द्वारा प्रदूषण सम्बन्धी विषयों पर निर्गत आदेशों- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करेंगे।

सर्वसंबंधित तद्नुसार तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

(आलोक प्रियदर्शी)
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,
कानून व्यवस्था एवं यातायात,
गाजियाबाद।

पत्रांक : आर-अ0पु0आ0-56/2026
दिनांक : जनवरी 21 ,2026

प्रतिलिपि :-

1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- पुलिस उपायुक्त, नगर/ट्रान्स हिण्डन/ग्रामीण/मुख्यालय, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2- पुलिस उपायुक्त, यातायात, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3- समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4- वाचक-पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
5- गोपनीय सहायक, अतिरिक्त पुलिस आंयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात गाजियाबाद ।
6- प्रभारी रिट सेल, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

... ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली प्रकरण

अति–आवश्यक/महत्वपूर्ण

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण (नोडल अधिकारी प्रदूषण एवं NGT)
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 724/2023 (आई.ए. संख्या 80/2025, आई.ए. संख्या 81/2025, आई.ए. संख्या 744/2025, आई.ए. संख्या 254/2024 और आई.ए. संख्या– 348/2024) बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में की गयी टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कृपया परामर्शदाता (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली (संलग्नक) के पत्र संख्याः रिक्त दिनांक 02.04.2026 का अवलोकन करे जो **मूल आवेदन संख्या 724/2023 (आई.ए. संख्या 80/2025, आई.ए. संख्या 81/2025, आई.ए. संख्या 744/2025, आई.ए. संख्या 254/2024 और आई.ए. संख्या– 348/2024) बिटटू बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य** में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित **आदेश दिनांक 19.03.2026 (संलग्नक)** के अनुपालन के संबंध में हैं।

आप संज्ञानित है कि दिनांक 02.01.2026 को थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्रन्तर्गत ग्राम पचायरा यमुना नदी क्षेत्र से अवैध खनन किये जाने के संबंध में कॉलर सुनील पुत्र ओम प्रकाश, आकाश पुत्र तेजपाल, योगेन्द्र पुत्र करतार व अभिषेक पुत्र देवेन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस हेल्पलाइन नम्बर–112 पर कॉल की गयी थी। चौकी इंचार्ज पचायरा, थाना ट्रॉनिका सिटी उपनिरीक्षक श्री प्रदीप सिंह द्वारा दिनांक 02.01.2026 को खनन के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद पर दिनांक 17.02.2026 को मु0अ0सं0– 51/2026 धारा 303(2)बीएनएस व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 पंजीकृत कराया गया था।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.03.2026 को उक्त अभियोग की विवेचना हेतु सात बिन्दुओं का विस्तृत निर्देश पत्र जारी किया गया था। निर्देश पत्र में विवेचना हेतु एस0आई0टी0 गठित करने तथा आप द्वारा एस0आई0टी0 की विवेचना का साप्ताहिक पर्यवेक्षण करने हेतु और सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, गाजियाबाद द्वारा एस0आई0टी0 की विवेचना का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 06.03.2026 में मु0अ0सं0– 51/2026 धारा 303(2)बीएनएस व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 की विवेचना संबंधी दिये गये निर्देश निम्नवत हैः–

प्रकरण की विवेचना हेतु एक निरीक्षक के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एस0आई0टी0 का गठन किया जाये । सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्रेट गाजियाबाद द्वारा गठित एस0आई0टी0 की विवेचना का प्रतिदिन निकट पर्यवेक्षण किया जायेगा। आप भी विवेचनात्मक कार्यवाही का साप्ताहिक विधिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्णतः निष्पक्ष, तथ्यपरक पारदर्शी एवं विधिसम्मत हो। विवेचना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 तथा दिनांक 18.02.2026 के निर्देशों के अनुरूप हो।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात जे0सीबी चालक के विरूद्ध पंजीकृत की गयी है। अभियोग से संबंधित घटनास्थल यदि खनन पट्टा क्षेत्र (Mining Lease Area) के अंतर्गत आता है, तो खनन पट्टा से सम्बन्धित व्यक्तियों/कम्पनी के विरूद्ध भी गहनता से साक्ष्य संकलित करते हुए गुणदोष के आधार पर प्रभावी विवेचना की जाये। खनन पट्टा क्षेत्र (Mining Lease Area) की विधिक स्थिति संबधित स्थल का सटीक सीमांकन (Demarcation) राजस्व अभिलेखों, खनन विभाग के नक्शों एवं GPS मैपिंग के आधार पर सत्यापित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि घटना स्थल वास्तविक रूप से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर था अथवा बाहर। पट्टाधारक की शर्तें (Lease Conditions) एवं अनुमति खनन सीमा का परीक्षण किया जाए।

3. विवेचना में संबंधित खनन पट्टा की शर्तों, सीमांकन मानचित्र, स्वीकृत खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों समस्त सम्बन्धित अभिलेख, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, वीडियोग्राफी क्लिप, जब्ती मेमो, खनन विभाग/प्रशासन द्वारा जारी आदेश/पत्राचार एवं दंड वसूली संबंधी अभिलेख भी संकलित कर शामिल विवेचना किये जाये। विवेचना में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (वर्तमान में प्रभावी धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) का पूर्णतः अनुपालन किया जाये। प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ही विवेचना में शामिल की जायें।

4. विवेचना में यह भी स्पष्ट किया जाए कि नदी तल में निर्मित गड्ढा वैध खनन गतिविधि का परिणाम था अथवा अवैध खनन का परिणाम है। यदि अवैध खनन का परिणाम हो, तो विवेचना से दोषी व्यक्तियों/पट्टाधारक/ संलिप्त कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाए। नदी तल में निर्मित गड्ढा (Water Logged Pit) संबंधी तथ्य उक्त गड्ढा कब, कैसे एवं किसके द्वारा निर्मित किया गया – इसका तथ्यात्मक एवं वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। क्या यह स्वीकृत खनन गतिविधि का परिणाम था अथवा अवैध उत्खनन से निर्मित हुआ – इसका स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया जाए। जलभरावयुक्त गड्ढे से खनन की वैधानिक अनुमति थी अथवा नहीं– संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृतियों (EC), खनन योजना एवं नियमों का परीक्षण कर अभिमत लिया जाए।

5. अज्ञात जे0सी0बी0 चालक अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत प्राथमिकी में जे0सी0बी0 के वास्तविक स्वामी/संचालक/लाभार्थी की पहचान हेतु ठोस साक्ष्य संकलित कर भी विवेचना की जाये। जब्त JCB/वाहनों के वास्तविक स्वामी, संचालक एवं लाभार्थी की पहचान हेतु RTO विवरण, जब्ती अभिलेख एवं कॉल डिटेल आदि का परीक्षण किया जाए। उत्तरदायित्व निर्धारण स्पष्ट रूप से विवेचना में परिलक्षित हो।

6. एस0आई0टी0 द्वारा खनन संबंधी अधिनियमों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उपयुक्त धाराएं आरोपित की गई हैं। यदि आवश्यक हो तो पूरक धाराएं जोड़ी जाएं।

7. केस डायरी में प्रत्येक कार्यवाही का तार्किक एवं तथ्यपरक उल्लेख हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना से पुलिस की निष्पक्षता पर कोई प्रश्नचिह्न न उठे। गठित एस0आई0टी0 टीम को आप तथा सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्नरेट गाजियबाद द्वारा समय–समय पर सुस्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाये। प्रकरण की संवेदनशीलता एवं न्यायालयीय टिप्पणी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि विवेचना में ऐसी कोई चूक न हो जिससे पुलिस की दक्षता/निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न हो।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्रन्तर्गत ग्राम पचायरा यमुना नदी क्षेत्र से अवैध खनन प्रकरण में चल रही सुनवाई में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 के प्रभावी अंश निम्नवत है:–

13. It may also be observed here that in the present case in compliance of order dated 29.01.2026 passed by this Tribunal, FIR was registered against the unknown persons and unknown JCB owner. This Tribunal observed in order dated 18.02.2026 that prima facie a perusal of the reply filed by the Commissioner of Police, Ghaziabad and the FIR registered raises serious questions regarding fairness of action and investigation on the part of Police particularly as to when the site in question fell within the mining lease area, how FIR is registered against unknown JCB owner and also acceptability of the justification put forth regarding mining from the pit in the lease area without considering why, how and by whom such pit was created in the river bed and whether mining was permissible at all from any water logged pit in river bed. No further report has been filed by the Commissioner of Police, Ghaziabad as to what is the progress made in the investigation of the case. We also consider it necessary to implead all the persons who were involved in such illegal mining and also the driver and owner of the JCB so that appropriate order can be passed against them.

14. The Commissioner of Police, Ghaziabad is directed to file additional report by way of his own affidavit or affidavit of duly authorized officer with respect to the progress made in investigation of the case starting from giving of information to the Police on 02.01.2026 with particulars of the persons involved and also owner and driver of the JCB involved. Report may be filed at least one day before the next date of hearing fixed.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में उपरोक्त अभियोग की विवेचना में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण एक शपथ पत्र के रूप में अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा मा0 NGT नई दिल्ली में दिनांक 8 अप्रैल, 2026 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आपको मूल आवेदन संख्या 724/2023 (आई.ए.संख्या 80/2025, आई.ए. संख्या 81/2025, आई.ए. संख्या 744/2025, आई.ए.संख्या 254/2024 और आई.ए. संख्या– 348/2024) बिटटू बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 के अनुपालन में अग्रिम नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व दिनांक 08.04.2026 को मु0अ0सं0– 51/2026 धारा 303(2)बीएनएस व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 की विवेचना की प्रगति आख्या शपथ पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली को उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आप इस अभियोग विवेचना में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण अपनी हस्ताक्षरित आख्या एस0आई0टी0 के अध्यक्ष निरीक्षक के माध्यम से श्री भंवर सिंह जादौन, स्थाई अधिवक्ता, माननीय

हरित न्याय अधिकरण, नई दिल्ली को सम्बोधित करते हुए उनके कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एस0आई0टी0 के अध्यक्ष निरीक्षक इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपका शपथ पत्र तैयार कराकर हस्ताक्षर व नोटरी की कार्यवाही हेतु दिनांक 7 अप्रैल, 2026 तक आपको उपलब्ध करायें। आप अपना हस्ताक्षरित व नोटरी शुदा शपथ पत्र दिनांक **08.04.2026** की दोपहर 12.00 बजे तक प्रत्येक दशा में श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थाई अधिवक्ता, माननीय हरित न्याय अधिकरण, नई दिल्ली को उपलब्ध करायें ताकि उनके द्वारा दिनांक 08.04.2026 को समय से शपथ पत्र मा0 एन0जी0टी0 कार्यालय में जमा किया जा सके।

आपके द्वारा दिनांक 02.01.2026 को पुलिस को 112 पर प्राप्त सूचना में अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के संबंध में SIT द्वारा की गई विवेचना का विवरण अपने इंस्ट्रक्शन एवं शपथ पत्र में शामिल किया जाएगा।

माननीय हरित न्याय अधिकरण नई दिल्ली की इस बिंदु पर विशेष नाराजगी है कि जब संबधित स्थल खनन पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तब अज्ञात जेसीबी स्वामी के विरुद्ध एफआईआर क्यों पंजीकृत कराई गई । SIT द्वारा जेसीबी के स्वामी एवं चालक के संबंध में की गई विवेचना का विवरण भी आपके द्वारा अपने इंस्ट्रक्शन एवं शपथ पत्र में शामिल किया जाएगा।

माननीय हरित न्याय अधिकरण की नाराजगी इस बिंदु पर भी है कि पट्टा क्षेत्र में स्थित गड्ढे से खनन किए जाने के संबंध में प्रस्तुत औचित्य भी संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह विचार नहीं किया गया कि उक्त गड्ढा नदी तल में क्यों, कैसे और किसके द्वारा निर्मित किया गया तथा क्या किसी भी जलमग्न गड्ढे से नदी तल में खनन किया जाना विधिसम्मत था या नहीं। अतः SIT द्वारा इस बिंदु पर की गई विवेचना का विवरण भी आपके द्वारा अपने इंस्ट्रक्शन एवं शपथ पत्र में शामिल किया जाएगा।

प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध प्रकृति का है। किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही न बरती जायें। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी तथा एस0आई0टी0 अध्यक्ष निरीक्षक अग्रिम नियत दिनांक 09.04.2026 को माननीय हरित न्याय अधिकरण, नई दिल्ली में उपस्थित रहेंगे।

संलग्नकः—यथोपरि।

पत्रांकः व—01/2026(रिट)

दिनांकः अप्रैल ०५ , 2026

पुलिस आयुक्त

कमिश्नरेट—गाजियाबाद।

1318

महत्वपूर्ण / मा0उच्च न्याया0 प्रकरण

प्रभारी निरीक्षक ट्रोनिका सिटी,
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कृपया पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पृष्ठांकित आदेश-3491बी दिनांक 02.04.2026 का माध्यम ओ0ए0 संख्या- 724/23 आई0ए0 न0-1732026, 80/2025, 81/2025, 744/2025, 254/2025, 348/2024 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बेंच, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में निर्गत निर्देशो का पालन करते हुए बिन्दुवार आख्या नियत दिनांक 08.04.2026 से पूर्व दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र का भली भांति अवलोकन करते हुए निर्देशानुसार निर्गत निर्देशो का पालन करते हुए बिन्दुवार आख्या नियत दिनांक 05.04.2026 तक मेरे कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण,
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

पत्रांकः-आर-डीसीपी(आर)20/2026
दिनांकः- अप्रैल 4 ,2026

प्रतिलिपिः- सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

SHOTC
पत्र का अवलोकन कर निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें व समय से आख्या प्रेषित करें।

ACP(L)
05/04/26

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण
कमिश्नरेट गाजियाबाद

कृपया आप अपने पत्रांकः आर-डीसीपी-आर-20/2026 दिनांक 04.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पृष्ठांकित आदेशः 3491बी दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से ओ0ए0 संख्या- 724/23 आई0ए0 नं0-173/26, 80/2025, 81/2025, 744/2025, 254/2025, 348/2024 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में निर्गत निर्देशों का पालन करते हुए बिन्दुबार आख्या नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 19.03.2026 के अनुपालन मे थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0. 51/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957 की विवेचनात्मक कार्यवाही की प्रगति आख्या निम्नवत् हैः-

उपरोक्त सन्दर्भ में निरीक्षक/विवेचक श्री मनोज कुमार से प्राप्त आख्यानुसार वादी मुकदमा उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा दिनांक 17.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर तहरीरी सूचना अंकित करायी कि वह चौकी प्रभारी पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के पद पर तैनात है। दिनांक 02.01.2026 को चैकी क्षेत्र पचायरा मे मामूर रहने के दौरान रात्रि के समय 112 नम्बर पर शिकायतकर्ता आकाश पुत्र तेजपाल, अभिषेक पुत्र देवेन्द्र, योगेन्द्र पुत्र करतार, सुनील पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध खनन की शिकायत की गयी थी जिसकी जांच के दौरान शिकायतकर्ताओ से इस सम्बध मे लिखित तहरीर देने को कहने पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बध मे तहरीर दी गयी थी फिर भी अवैध खनन के सम्बध मे प्रसारित वीडियो के आधार पर विवेचना होना समीचीन प्रतीत होने पर उनके द्वारा अवैध खनन कर रही अज्ञात जेसीबी व उसके चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने हेतु तहरीर दी गयी जिस पर दिनांक 17.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 51/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957 बनाम अज्ञात जेसीबी चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री राहुल तोमर के सुपुर्द की गयी थी। तत्पश्चात पुलिस उपायुक्त ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के आदेश दिनांक 12.03.2026 के आदेश के अनुपालन मे उक्त अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी के सुपुर्द की गयी एवं महोदय के आदेश दिनाक 12.03.2026 के द्वारा विवेचक/निरीक्षक के सहयोगार्थ 05 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया, जिसके अनुपालन मे अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा दिनांक 21.03.2026 को ग्रहण कर गठित एसआईटी के सहयोग से सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे अब तक संकलित की गयी साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त के वादी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह के मजीद बयान अंकित कर उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया तो उनके द्वारा घटनास्थल ग्राम पचायरा के रकबे मे यमुना नदी के किनारे गडढे का होना बताया गया जो आवंटित पटटा खनन क्षेत्र के अन्तर्गत होना बताया, जिसके सम्बध मे वादी मुकदमा द्वारा आवंटित पटटे के आदेश की छायाप्रति दिनाकित 12.11.2021 उपलब्ध करायी गयी

Scanned with OKEN Scanner

का अवलोकन करने पर सम्बन्धित खनन पटटा न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोपराईटर बनी सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी सालासर काम्पलैक्स 306 शंकर विहार कालोनी क्वारसी जिला अलीगढ के नाम पर ग्राम पचायरा खण्ड संख्या 2 गाटा संख्या 303 मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 के कुल रकबा 8.512 है0 मे खनन हेतु आवंटित किया जाना पाया गया तथा खनन पटटा दिनांक 12.11.2021 से 11.11.2026 तक 05 वर्षो तक की अवधि के लिए पटटेदार को खनिज निकालने हेतु आवंटित है जिसका मानचित्र भी लगा हुआ है। इस सम्बध मे सत्यापन हेतु शिकायतकर्ता/प्रथम सूचना रिपोर्ट के साक्षी आकाश पुत्र तेजपाल, अभिषेक पुत्र देवेन्द्र, योगेन्द्र पुत्र करतार निवासीगण ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद से पूछताछ कर कथन अंकित किये गये तो उनके द्वारा भी घटनास्थल पर अवैध खनन होने सम्बंधी 112 नम्बर पर शिकायत करने एवं ग्रेप 4 हट जाने की जानकारी हो जाने के बाद कोई कार्यवाही न चाहने सम्बन्धित तहरीर देने का समर्थन किया गया।

इसी क्रम मे घटनास्थल एवं पटटा खनन क्षेत्र के सत्यापन हेतु खनन अधिकारी गाजियाबाद को रिपोर्ट प्रेषित कर आख्या प्राप्त की गयी तो उनकी आख्या अनुसार ग्राम पचायरा खण्ड 2 तहसील लोनी गाजियाबाद मे बालू खनन हेतु पटटा न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोपराईटर बनी सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी सालासर काम्पलैक्स 306 शंकर विहार कालोनी क्वारसी जिला अलीगढ के नाम 05 वर्ष के लिए आवंटित होना अंकित किया गया है तथा दिनांक 02.01.2026 की प्रसारित/वायरल वीडियो मे जो रात्रि 10.09 बजे पटटा क्षेत्र मे जेसीबी मशीन से खनन होना दर्शाया गया है वह स्थान स्वीकृत पटटा क्षेत्र मे 01 पिट (गडढा) होना व पानी भरा होना अंकित किया गया है तथा दिनांक 02.01.2026 को खनन क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड 2 मे पटटा धारक को उसके पक्ष मे खनन कार्य करने की अनुमति प्राप्त होना तथा पटटा धारक पर प्रथक से खनन के सम्बध मे कोई प्रतिबंध नही लगाया जाना अंकित किया गया है। खनन विभाग गाजियाबाद द्वारा पटटा धारक के विरुद्ध रात्रि के समय उपखनिज बालू की लोडिंग/परिवहन किये जाने के सम्बध मे पटटा धारक पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 50 हजार रुपये अधिरोपित कर वसूले जाने का उल्लेख किया गया है साथ ही पटटा धारक को पिट (गडढा) मे जल स्तर आने के उपरान्त भी खनन किये जाने के कारण उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 45 (ज) के उल्लंघन व नियम 60(4) के अन्तर्गत अर्थदण्ड रु0 500000/- अधिरोपित किये जाने से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है। अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही से पटटा धारक न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोपराईटर बनी सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी सालासर काम्पलैक्स 306 शंकर विहार कालोनी क्वारसी जिला अलीगढ के नाम पर दिनांक 12.11.2021 से 11.11.2026 तक 05 वर्षो तक के लिए ग्राम पचायरा खण्ड संख्या 2 गाटा संख्या संख्या 2 गाटा संख्या 303 मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 के कुल रकबा 8.512 है0 के कुल रकबा 8.512 है0 के लिए बालू खनन हेतु स्वीकृत/आवंटित होना पाया गया है तथा वायरल वीडियो दिनाकित 02.01.2026 मे गडढे मे भरे पानी से रात्रि मे पोपलेन/जेसीबी मशीन से खनन किये जाने सम्बन्धित स्थान उक्त पटटा खनन क्षेत्र के अन्तर्गत होना पाया गया है। पटटा स्थल पर खनन कार्य पटटा धारक बनी सिंह की सहमति से मैनेजर शिव कुमार कसाना पुत्र फूल सिंह कसाना निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल निवासी वेब सिटी थाना वेबसिटी गाजियाबाद की देखरेख मे कराया जाना पाया गया। वायरल वीडियो क्लिप मे पोपलेन/जेसीबी मशीन के सम्बन्ध में मैनेजर शिवकुमार कसाना द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर पोपलेन/जेसीबी मालिक का नाम सतवीर सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner

लोना व दिनाक 02.01.2026 को उक्त पोपलेन/जेसीबी मशीन का चालक धनराज निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के द्वारा चलाया जाना अंकित किया गया है जिसके सम्बध मे सत्यापन किया जा रहा है। अब तक की विवेचना से पटटा धारक बनी सिंह उपरोक्त के नाम आवंटित पटटे के खनन क्षेत्र मे उसके मैनेजर शिव कुमार कसाना की निगरानी मे किया जाना पाया गया है जिनके द्वारा अवैध खनन के उदेश्य से घटनास्थल पर गडढा किये जाने एवंम गडढे मे भरे पानी के अन्दर से पोपलेन द्वारा बालू खनन किया गया है इस सम्बध मे विवेचना के मध्य किये गये निरीक्षण घटनास्थल, खनन अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2026 को किये गये मौके के निरीक्षण व गडढा निरीक्षण से घटनास्थल पर अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करते हुए गडढा किये जाने सम्बंधी साक्ष्य उपलब्ध है तथा खनन विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरुप पटटा धारक को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की वसूली की गयी है तथा 5 लाख रुपये अर्थ दण्ड दिये जाने से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। दिनांक 02.01.2026 की वायरल वीडियो को पैन ड्राइव मे सुरक्षित लेकर धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उक्त अभियोग मे साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है एवं मेरे द्वारा अभियोग की विवेचना की विवेचना की प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जा रही है। विवेचना साक्ष्य के क्रम में प्रचलित है। मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक ट्रोनिका सिटी एवं विवेचक को विवेचना का साक्ष्य के क्रम में गुण दोष के आधार पर निष्पक्षतापूर्वक शीघ्र विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

07/04/26

(सिद्धार्थ गौतम)
सहायक पुलिस आयुक्त लोनी
गाजियाबाद

दिनांकः अप्रैल, 07 ,2026

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

कृपया पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र संख्या-व-01/2026(रिट) दिनांक 06.03.2026 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एप्लीकेशन नं0 724/2023 ईए नं0 80/2025, 81/2025, 744/25, 254/24, 348/24 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 में की गयी टिप्पणियों में आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालन एवं थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम की विवेचना अतिरिक्त निरीक्षक मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के विधिक निस्तारण हेतु विवेचक के सहयोगार्थ 05 सदस्यीय एस0आई0टी का गठन किये जाने तथा एस0आई0टी0 द्वारा की जाने वाली विवेचना का सहायक पुलिस आयुक्त लोनी द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करेगें एवं अधोहस्ताक्षरी को विवेचनात्मक कार्यवाही का साप्ताहिक विधिक परीक्षण कर पूर्णतः निष्पक्ष तथ्यपरक पादर्शी एवं विधि सम्मत विवेचना किये जाने के अनुक्रम में विवेचक/अतिरिक्त निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी के सहयोगार्थ में 05 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है।

1. श्री मनोज कुमार, निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2. वरिष्ठ उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार शर्मा, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री रवि यादव, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
4. उ0नि0 श्री राहुल तोमर, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
5. उ0नि0 श्री सचिन कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद

अतः गठित टीम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सन्दर्भित प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

12/3/26

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

संलग्नकः—यथोपिरि।

पत्रांकः— आर—डीसीपीआर—18(SIT-NGT)/26
दिनांकः—मार्च 12, 2026

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन हेतु प्रेषित।

1. सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. प्रभारी रिट सैल, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. प्रभारी निरीक्षक ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4. अति0 निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

भारत सरकार
Government of India

Issue Date: 31/08/2014

सुरेन्द्र नाथ तिवारी
Surendra Nath Tiwari
जन्म तिथि/DOB: 20/07/1970
पुरुष/ MALE

VID : 9121 2759 7538 1454

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Download Date: 23/01/2023

पता:
द्वारा: शिवा नन्द तिवारी, 3/109, विशेष खंड, गोमतीनगर,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226010

Address:
C/O: Shiva Nand Tiwari, 3/109, Vishesh
Khand, Gomtinagar, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226010

VID : 9121 2759 7538 1454

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

S. P. SINGH NOTARY MODINAGAR Distt. Ghaziabad GOVT. OF INDIA

ATTESTED
8/6/2016
S. P. SINGH
Advocate/Notary

ANNEXURE-1

-: आदेश :-

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.12.2025 के द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रदूषण सम्बन्धी विषयों पर पारित आदेशों का कमिश्नरेट गाजियाबाद में अनुपालन कराये जाने एवं प्रदूषण सम्बन्धी प्रकरणों हेतु **श्री त्रिगुण बिसेन, पुलिस उपायुक्त, यातायात, कमिश्नरेट गाजियाबाद** को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए **पुलिस उपायुक्त, यातायात के स्थान पर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद** को तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नामित नोडल अधिकारी उपरोक्त सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली तथा मुख्यालय द्वारा प्रदूषण सम्बन्धी विषयों पर निर्गत आदेशों- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करेंगे।

सर्वसंबंधित तद्नुसार तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

21/1

(आलोक प्रियदर्शी)
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,
कानून व्यवस्था एवं यातायात,
गाजियाबाद।

पत्रांक : आर-अ0पु0आ0-56/2026
दिनांक : जनवरी 21 ,2026

प्रतिलिपि :-

1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- पुलिस उपायुक्त, नगर/ट्रान्स हिण्डन/ग्रामीण/मुख्यालय, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2- पुलिस उपायुक्त, यातायात, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3- समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4- वाचक-पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
5- गोपनीय सहायक, अतिरिक्त पुलिस आंयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात गाजियाबाद।
6- प्रभारी रिट सेल, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली प्रकरण

अति–आवश्यक / महत्वपूर्ण

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण (नोडल अधिकारी प्रदूषण एवं NGT)
कमिश्नरेट–गाजियाबाद।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 724/2023 (आई.ए. संख्या 80/2025, आई.ए. संख्या 81/2025, आई.ए. संख्या 744/2025, आई.ए. संख्या 254/2024 और आई.ए. संख्या– 348/2024) बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में की गयी टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कृपया परामर्शदाता (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली (संलग्नक) के पत्र संख्याः रिक्त दिनांक 02.04.2026 का अवलोकन करे जो **मूल आवेदन संख्या 724/2023 (आई.ए. संख्या 80/2025, आई.ए. संख्या 81/2025, आई.ए. संख्या 744/2025, आई.ए. संख्या 254/2024 और आई.ए. संख्या– 348/2024) बिटटू बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य** में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित **आदेश दिनांक 19.03.2026 (संलग्नक)** के अनुपालन के संबंध में हैं।

आप संज्ञानित है कि दिनांक 02.01.2026 को थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्रन्तर्गत ग्राम पचायरा यमुना नदी क्षेत्र से अवैध खनन किये जाने के संबंध में कॉलर सुनील पुत्र ओम प्रकाश, आकाश पुत्र तेजपाल, योगेन्द्र पुत्र करतार व अभिषेक पुत्र देवेन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस हेल्पलाइन नम्बर–112 पर कॉल की गयी थी। चौकी इंचार्ज पचायरा, थाना ट्रॉनिका सिटी उपनिरीक्षक श्री प्रदीप सिंह द्वारा दिनांक 02.01.2026 को खनन के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद पर दिनांक 17.02.2026 को मु0अ0सं0– 51/2026 धारा 303(2)बीएनएस व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 पंजीकृत कराया गया था।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.03.2026 को उक्त अभियोग की विवेचना हेतु सात बिन्दुओं का विस्तृत निर्देश पत्र जारी किया गया था। निर्देश पत्र में विवेचना हेतु एस0आई0टी0 गठित करने तथा आप द्वारा एस0आई0टी0 की विवेचना का साप्ताहिक पर्यवेक्षण करने हेतु और सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, गाजियाबाद द्वारा एस0आई0टी0 की विवेचना का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 06.03.2026 में मु0अ0सं0– 51/2026 धारा 303(2)बीएनएस व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 की विवेचना संबंधी दिये गये निर्देश निम्नवत हैः–

1. प्रकरण की विवेचना हेतु एक निरीक्षक के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एस0आई0टी0 का गठन किया जाये । सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्रेट गाजियाबाद द्वारा गठित एस0आई0टी0 की विवेचना का प्रतिदिन निकट पर्यवेक्षण किया जायेगा। आप भी विवेचनात्मक कार्यवाही का साप्ताहिक विधिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्णतः निष्पक्ष, तथ्यपरक पारदर्शी एवं विधिसम्मत हो। विवेचना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 तथा दिनांक 18.02.2026 के निर्देशों के अनुरूप हो।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात जे0सीबी चालक के विरूद्ध पंजीकृत की गयी है। अभियोग से संबंधित घटनास्थल यदि खनन पट्टा क्षेत्र (Mining Lease Area) के अंतर्गत आता है, तो खनन पट्टा से सम्बन्धित व्यक्तियों/कम्पनी के विरूद्ध भी गहनता से साक्ष्य संकलित करते हुए गुणदोष के आधार पर प्रभावी विवेचना की जाये। खनन पट्टा क्षेत्र (Mining Lease Area) की विधिक स्थिति संबंधित स्थल का सटीक सीमांकन (Demarcation) राजस्व अभिलेखों, खनन विभाग के नक्शों एवं GPS मैपिंग के आधार पर सत्यापित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि घटना स्थल वास्तविक रूप से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर था अथवा बाहर। पट्टाधारक की शर्तें (Lease Conditions) एवं अनुमति खनन सीमा का परीक्षण किया जाए।

3. विवेचना में संबंधित खनन पट्टा की शर्तों, सीमांकन मानचित्र, स्वीकृत खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों समस्त सम्बन्धित अभिलेख, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, वीडियोग्राफी क्लिप, जब्ती मेमो, खनन विभाग/प्रशासन द्वारा जारी आदेश/पत्राचार एवं दंड वसूली संबंधी अभिलेख भी संकलित कर शामिल विवेचना किये जाये। विवेचना में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (वर्तमान में प्रभावी धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) का पूर्णतः अनुपालन किया जाये। प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ही विवेचना में शामिल की जायें।

4. विवेचना में यह भी स्पष्ट किया जाए कि नदी तल में निर्मित गड्ढा वैध खनन गतिविधि का परिणाम था अथवा अवैध खनन का परिणाम है। यदि अवैध खनन का परिणाम हो, तो विवेचना से दोषी व्यक्तियों/पट्टाधारक/ संलिप्त कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाए। नदी तल में निर्मित गड्ढा (Water Logged Pit) संबंधी तथ्य उक्त गड्ढा कब, कैसे एवं किसके द्वारा निर्मित किया गया – इसका तथ्यात्मक एवं वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। क्या यह स्वीकृत खनन गतिविधि का परिणाम था अथवा अवैध उत्खनन से निर्मित हुआ – इसका स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया जाए। जलभरावयुक्त गड्ढे से खनन की वैधानिक अनुमति थी अथवा नहीं– संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृतियों (EC), खनन योजना एवं नियमों का परीक्षण कर अभिमत लिया जाए।

5. अज्ञात जे0सी0बी0 चालक अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत प्राथमिकी में जे0सी0बी0 के वास्तविक स्वामी/संचालक/लाभार्थी की पहचान हेतु ठोस साक्ष्य संकलित कर भी विवेचना की जाये। जब्त JCB/वाहनों के वास्तविक स्वामी, संचालक एवं लाभार्थी की पहचान हेतु RTO विवरण, जब्ती अभिलेख एवं कॉल डिटेल आदि का परीक्षण किया जाए। उत्तरदायित्व निर्धारण स्पष्ट रूप से विवेचना में परिलक्षित हो।

6. एस0आई0टी0 द्वारा खनन संबंधी अधिनियमों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उपयुक्त धाराएं आरोपित की गई हैं। यदि आवश्यक हो तो पूरक धाराएं जोड़ी जाएं।

7. केस डायरी में प्रत्येक कार्यवाही का तार्किक एवं तथ्यपरक उल्लेख हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना से पुलिस की निष्पक्षता पर कोई प्रश्नचिह्न न उठे। गठित एस0आई0टी0 टीम को आप तथा सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्नरेट गाजियबाद द्वारा समय–समय पर सुस्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाये। प्रकरण की संवेदनशीलता एवं न्यायालयीय टिप्पणी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि विवेचना में ऐसी कोई चूक न हो जिससे पुलिस की दक्षता/निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न हो।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्रन्तर्गत ग्राम पचायरा यमुना नदी क्षेत्र से अवैध खनन प्रकरण में चल रही सुनवाई में पारित आदेश दिनांक **19.03.2026** के प्रभावी अंश निम्नवत है:—

13. It may also be observed here that in the present case in compliance of order dated 29.01.2026 passed by this Tribunal, FIR was registered against the unknown persons and unknown JCB owner. This Tribunal observed in order dated 18.02.2026 that prima facie a perusal of the reply filed by the Commissioner of Police, Ghaziabad and the FIR registered raises serious questions regarding fairness of action and investigation on the part of Police particularly as to when the site in question fell within the mining lease area, how FIR is registered against unknown JCB owner and also acceptability of the justification put forth regarding mining from the pit in the lease area without considering why, how and by whom such pit was created in the river bed and whether mining was permissible at all from any water logged pit in river bed. No further report has been filed by the Commissioner of Police, Ghaziabad as to what is the progress made in the investigation of the case. We also consider it necessary to implead all the persons who were involved in such illegal mining and also the driver and owner of the JCB so that appropriate order can be passed against them.

14. The Commissioner of Police, Ghaziabad is directed to file additional report by way of his own affidavit or affidavit of duly authorized officer with respect to the progress made in investigation of the case starting from giving of information to the Police on 02.01.2026 with particulars of the persons involved and also owner and driver of the JCB involved. Report may be filed at least one day before the next date of hearing fixed.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में उपरोक्त अभियोग की विवेचना में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण एक शपथ पत्र के रूप में अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा मा0 NGT नई दिल्ली में दिनांक 8 अप्रैल, 2026 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आपको मूल आवेदन संख्या 724/2023 (आई.ए.संख्या 80/2025, आई.ए. संख्या 81/2025, आई.ए. संख्या 744/2025, आई.ए.संख्या 254/2024 और आई.ए. संख्या— 348/2024) बिटटू बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 के अनुपालन में अग्रिम नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व दिनांक 08.04.2026 को मु0अ0सं0— 51/2026 धारा 303(2)बीएनएस व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम—1957 की विवेचना की प्रगति आख्या शपथ पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली को उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आप इस अभियोग विवेचना में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण अपनी हस्ताक्षरित आख्या एस0आई0टी0 के अध्यक्ष निरीक्षक के माध्यम से श्री भंवर सिंह जादौन, स्थाई अधिवक्ता, माननीय

हरित न्याय अधिकरण, नई दिल्ली को सम्बोधित करते हुए उनके कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एस0आई0टी0 के अध्यक्ष निरीक्षक इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपका शपथ पत्र तैयार कराकर हस्ताक्षर व नोटरी की कार्यवाही हेतु दिनांक 7 अप्रैल, 2026 तक आपको उपलब्ध करायें। आप अपना हस्ताक्षरित व नोटरी शुदा शपथ पत्र दिनांक **08.04.2026** की दोपहर 12.00 बजे तक प्रत्येक दशा में श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थाई अधिवक्ता, माननीय हरित न्याय अधिकरण, नई दिल्ली को उपलब्ध कराये ताकि उनके द्वारा दिनांक 08.04.2026 को समय से शपथ पत्र मा0 एन0जी0टी0 कार्यालय में जमा किया जा सके।

आपके द्वारा दिनांक 02.01.2026 को पुलिस को 112 पर प्राप्त सूचना में अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के संबंध में SIT द्वारा की गई विवेचना का विवरण अपने इंस्ट्रक्शन एवं शपथ पत्र में शामिल किया जाएगा।

माननीय हरित न्याय अधिकरण नई दिल्ली की इस बिंदु पर विशेष नाराजगी है कि जब संबंधित स्थल खनन पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तब अज्ञात जेसीबी स्वामी के विरुद्ध एफआईआर क्यों पंजीकृत कराई गई । SIT द्वारा जेसीबी के स्वामी एवं चालक के संबंध में की गई विवेचना का विवरण भी आपके द्वारा अपने इंस्ट्रक्शन एवं शपथ पत्र में शामिल किया जाएगा।

माननीय हरित न्याय अधिकरण की नाराजगी इस बिंदु पर भी है कि पट्टा क्षेत्र में स्थित गड्ढे से खनन किए जाने के संबंध में प्रस्तुत औचित्य भी संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह विचार नहीं किया गया कि उक्त गड्ढा नदी तल में क्यों, कैसे और किसके द्वारा निर्मित किया गया तथा क्या किसी भी जलमग्न गड्ढे से नदी तल में खनन किया जाना विधिसम्मत था या नहीं। अतः SIT द्वारा इस बिंदु पर की गई विवेचना का विवरण भी आपके द्वारा अपने इंस्ट्रक्शन एवं शपथ पत्र में शामिल किया जाएगा।

प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध प्रकृति का है। किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही न बरती जायें। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी तथा एस0आई0टी0 अध्यक्ष निरीक्षक अग्रिम नियत दिनांक 09.04.2026 को माननीय हरित न्याय अधिकरण, नई दिल्ली में उपस्थित रहेंगे।

संलग्नकः—यथोपरि।
पत्रांकः व—01/2026(रिट)
दिनांकः अप्रैल ०५ , 2026

पुलिस आयुक्त
कमिश्नरेट—गाजियाबाद।

6 व 2557 के भू-स्वामी मैसर्स वलूम सवरी एजुकेशनल ...
वासी-17 ... अनार कली दिल्ली-51 द्वारा कुल क्षेत्रफल

महत्वपूर्ण / मा0उच्च न्याया0 प्रकरण

प्रभारी निरीक्षक ट्रोनिका सिटी,
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कृपया पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पृष्ठांकित आदेश-3491बी दिनांक 02.04.2026 का माध्यम ओ0ए0 संख्या- 724/23 आई0ए0 न0-1732026, 80/2025, 81/2025, 744/2025, 254/2025, 348/2024 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बेंच, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में निर्गत निर्देशो का पालन करते हुए बिन्दुवार आख्या नियत दिनांक 08.04.2026 से पूर्व दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र का भली भांति अवलोकन करते हुए निर्देशानुसार निर्गत निर्देशो का पालन करते हुए बिन्दुवार आख्या नियत दिनांक 05.04.2026 तक मेरे कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण,
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

पत्रांकः-आर-डीसीपी(आर)20/2026
दिनांकः- अप्रैल 5 ,2026

प्रतिलिपिः- सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

SHOTC
वह पत्र का अवलोकन कर
निर्देशानुसार अपेक्षित
कार्यवाही करना सुनिश्चित
करें व समय से आख्या
प्रेषित करें।

ACP(L)
05/04/26

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण
कमिश्नरेट गाजियाबाद

कृपया आप अपने पत्रांकः आर-डीसीपी-आर-20/2026 दिनांक 04.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पृष्ठांकित आदेशः 3491बी दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से ओ0ए0 संख्या- 724/23 आई0ए0 नं0-173/26, 80/2025, 81/2025, 744/2025, 254/2025, 348/2024 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 में निर्गत निर्देशों का पालन करते हुए बिन्दुबार आख्या नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 19.03.2026 के अनुपालन मे थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0. 51/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957 की विवेचनात्मक कार्यवाही की प्रगति आख्या निम्नवत् है:-

उपरोक्त सन्दर्भ में निरीक्षक/विवेचक श्री मनोज कुमार से प्राप्त आख्यानुसार वादी मुकदमा उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा दिनांक 17.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर तहरीरी सूचना अंकित करायी कि वह चौकी प्रभारी पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के पद पर तैनात है। दिनांक 02.01.2026 को चैकी क्षेत्र पचायरा मे मामूर रहने के दौरान रात्रि के समय 112 नम्बर पर शिकायतकर्ता आकाश पुत्र तेजपाल, अभिषेक पुत्र देवेन्द्र, योगेन्द्र पुत्र करतार, सुनील पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध खनन की शिकायत की गयी थी जिसकी जांच के दौरान शिकायतकर्ताओ से इस सम्बध मे लिखित तहरीर देने को कहने पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बध मे तहरीर दी गयी थी फिर भी अवैध खनन के सम्बध मे प्रसारित वीडियो के आधार पर विवेचना होना समीचीन प्रतीत होने पर उनके द्वारा अवैध खनन कर रही अज्ञात जेसीबी व उसके चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने हेतु तहरीर दी गयी जिस पर दिनांक 17.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 51/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम-1957 बनाम अज्ञात जेसीबी चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री राहुल तोमर के सुपुर्द की गयी थी। तत्पश्चात पुलिस उपायुक्त ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के आदेश दिनांक 12.03.2026 के आदेश के अनुपालन मे उक्त अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी के सुपुर्द की गयी एवं महोदय के आदेश दिनाक 12.03.2026 के द्वारा विवेचक/निरीक्षक के सहयोगार्थ 05 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया, जिसके अनुपालन मे अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा दिनांक 21.03.2026 को ग्रहण कर गठित एसआईटी के सहयोग से सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे अब तक संकलित की गयी साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त के वादी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह के मजीद बयान अंकित कर उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया तो उनके द्वारा घटनास्थल ग्राम पचायरा के रकबे मे यमुना नदी के किनारे गडढे का होना बताया गया जो आवंटित पटटा खनन क्षेत्र के अन्तर्गत होना बताया, जिसके सम्बध मे वादी मुकदमा द्वारा आवंटित पटटे के आदेश की छायाप्रति दिनाकित 12.11.2021 उपलब्ध करायी गयी

Scanned with OKEN Scanner

जिसका अवलोकन करने पर सम्बन्धित खनन पटटा न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोपराईटर बनी सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी सालासर काम्पलैक्स 306 शंकर विहार कालोनी क्वारसी जिला अलीगढ के नाम पर ग्राम पचायरा खण्ड संख्या 2 गाटा संख्या 303 मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 के कुल रकबा 8.512 है0 मे खनन हेतु आवंटित किया जाना पाया गया तथा खनन पटटा दिनांक 12.11.2021 से 11.11.2026 तक 05 वर्षो तक की अवधि के लिए पटटेदार को खनिज निकालने हेतु आवंटित है जिसका मानचित्र भी लगा हुआ है। इस सम्बध मे सत्यापन हेतु शिकायतकर्ता/प्रथम सूचना रिपोर्ट के साक्षी आकाश पुत्र तेजपाल, अभिषेक पुत्र देवेन्द्र, योगेन्द्र पुत्र करतार निवासीगण ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद से पूछताछ कर कथन अंकित किये गये तो उनके द्वारा भी घटनास्थल पर अवैध खनन होने सम्बंधी 112 नम्बर पर शिकायत करने एवं ग्रेप 4 हट जाने की जानकारी हो जाने के बाद कोई कार्यवाही न चाहने सम्बन्धित तहरीर देने का समर्थन किया गया।

इसी क्रम मे घटनास्थल एवं पटटा खनन क्षेत्र के सत्यापन हेतु खनन अधिकारी गाजियाबाद को रिपोर्ट प्रेषित कर आख्या प्राप्त की गयी तो उनकी आख्या अनुसार ग्राम पचायरा खण्ड 2 तहसील लोनी गाजियाबाद मे बालू खनन हेतु पटटा न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोपराईटर बनी सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी सालासर काम्पलैक्स 306 शंकर विहार कालोनी क्वारसी जिला अलीगढ के नाम 05 वर्ष के लिए आवंटित होना अंकित किया गया है तथा दिनांक 02.01.2026 की प्रसारित/वायरल वीडियो मे जो रात्रि 10.09 बजे पटटा क्षेत्र मे जेसीबी मशीन से खनन होना दर्शाया गया है वह स्थान स्वीकृत पटटा क्षेत्र मे 01 पिट (गडढा) होना व पानी भरा होना अंकित किया गया है तथा दिनांक 02.01.2026 को खनन क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड 2 मे पटटा धारक को उसके पक्ष मे खनन कार्य करने की अनुमति प्राप्त होना तथा पटटा धारक पर प्रथक से खनन के सम्बध मे कोई प्रतिबंध नही लगाया जाना अंकित किया गया है। खनन विभाग गाजियाबाद द्वारा पटटा धारक के विरुद्ध रात्रि के समय उपखनिज बालू की लोडिंग/परिवहन किये जाने के सम्बध मे पटटा धारक पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 50 हजार रुपये अधिरोपित कर वसूले जाने का उल्लेख किया गया है साथ ही पटटा धारक को पिट (गडढा) मे जल स्तर आने के उपरान्त भी खनन किये जाने के कारण उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 45 (ज) के उल्लंघन व नियम 60(4) के अन्तर्गत अर्थदण्ड रु0 500000/- अधिरोपित किये जाने से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है। अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही से पटटा धारक न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोपराईटर बनी सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी सालासर काम्पलैक्स 306 शंकर विहार कालोनी क्वारसी जिला अलीगढ के नाम पर दिनांक 12.11.2021 से 11.11.2026 तक 05 वर्षो तक के लिए ग्राम पचायरा खण्ड संख्या 2 गाटा संख्या संख्या 2 गाटा संख्या 303 मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 के कुल रकबा 8.512 है0 के कुल रकबा 8.512 है0 के लिए बालू खनन हेतु स्वीकृत/आवंटित होना पाया गया है तथा वायरल वीडियो दिनाकित 02.01.2026 मे गडढे मे भरे पानी से रात्रि मे पोपलेन/जेसीबी मशीन से खनन किये जाने सम्बन्धित स्थान उक्त पटटा खनन क्षेत्र के अन्तर्गत होना पाया गया है। पटटा स्थल पर खनन कार्य पटटा धारक बनी सिंह की सहमति से मैनेजर शिव कुमार कसाना पुत्र फूल सिंह कसाना निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल निवासी वेब सिटी थाना वेबसिटी गाजियाबाद की देखरेख मे कराया जाना पाया गया। वायरल वीडियो क्लिप मे पोपलेन/जेसीबी मशीन के सम्बन्ध में मैनेजर शिवकुमार कसाना द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर पोपलेन/जेसीबी मालिक का नाम सतवीर सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner

होना व दिनाक 02.01.2026 को उक्त पोपलेन/जेसीबी मशीन का चालक धनराज निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के द्वारा चलाया जाना अंकित किया गया है जिसके सम्बध मे सत्यापन किया जा रहा है। अब तक की विवेचना से पटटा धारक बनी सिंह उपरोक्त के नाम आवंटित पटटे के खनन क्षेत्र मे उसके मैनेजर शिव कुमार कसाना की निगरानी मे किया जाना पाया गया है जिनके द्वारा अवैध खनन के उदेश्य से घटनास्थल पर गडढा किये जाने एवंम गडढे मे भरे पानी के अन्दर से पोपलेन द्वारा बालू खनन किया गया है इस सम्बध मे विवेचना के मध्य किये गये निरीक्षण घटनास्थल, खनन अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2026 को किये गये मौके के निरीक्षण व गडढा निरीक्षण से घटनास्थल पर अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करते हुए गडढा किये जाने सम्बंधी साक्ष्य उपलब्ध है तथा खनन विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरुप पटटा धारक को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की वसूली की गयी है तथा **5** लाख रुपये अर्थ दण्ड दिये जाने से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। दिनांक 02.01.2026 की वायरल वीडियो को पैन ड्राइव मे सुरक्षित लेकर धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उक्त अभियोग मे साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है एवं मेरे द्वारा अभियोग की विवेचना की विवेचना की प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जा रही है। विवेचना साक्ष्य के क्रम में प्रचलित है। मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक ट्रोनिका सिटी एवं विवेचक को विवेचना का साक्ष्य के क्रम में गुण दोष के आधार पर निष्पक्षतापूर्वक शीघ्र विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

07/04/26

(सिद्धार्थ गौतम)
सहायक पुलिस आयुक्त लोनी
गाजियाबाद

दिनांकः अप्रैल, 07 ,2026

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

कृपया पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र संख्या–व–01/2026(रिट) दिनांक 06.03.2026 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एप्लीकेशन नं0 724/2023 ईए नं0 80/2025, 81/2025, 744/25, 254/24, 348/24 बिटटू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 में की गयी टिप्पणियों में आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालन एवं थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम की विवेचना अतिरिक्त निरीक्षक मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के विधिक निस्तारण हेतु विवेचक के सहयोगार्थ 05 सदस्यीय एस0आई0टी का गठन किये जाने तथा एस0आई0टी0 द्वारा की जाने वाली विवेचना का सहायक पुलिस आयुक्त लोनी द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करेगें एवं अद्योहस्ताक्षरी को विवेचनात्मक कार्यवाही का साप्ताहिक विधिक परीक्षण कर पूर्णतः निष्पक्ष तथ्यपरक पादर्शी एवं विधि सम्मत विवेचना किये जाने के अनुक्रम में विवेचक/अतिरिक्त निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी के सहयोगार्थ में 05 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है।

1. श्री मनोज कुमार, निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2. वरिष्ठ उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार शर्मा, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री रवि यादव, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
4. उ0नि0 श्री राहुल तोमर, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
5. उ0नि0 श्री सचिन कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद

अतः गठित टीम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सन्दर्भित प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपिरि।

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

पत्रांकः– आर–डीसीपीआर–18(SIT-NGT)/26
दिनांकः–मार्च 12 , 2026

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन हेतु प्रेषित।

1. सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. प्रभारी रिट सैल, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. प्रभारी निरीक्षक ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4. अति0 निरीक्षक श्री मनोज कुमार, थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।